

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम सतपाल सिंह सरकार नम्बर 39 सन् 2021
किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/ 528

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
<p>5/10/21</p>	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>सतपाल सिंह</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/..... दिनांक <u>5/10/21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>रायसिंहनगर</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>S.P.D</u> की जमाबंदी सम्बन्ध <u>2026-2027</u> के खाता सं <u>72</u> में <u>सतपाल सिंह</u> के स्थान पर <u>S.P.D</u> शाखा गवाहिदुपु की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>सतपाल सिंह</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाक चक <u>S.P.D</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बन्ध <u>2026-2027</u> के खाता सं <u>72</u> में <u>सतपाल सिंह</u> <u>सतपाल सिंह</u> के स्थान पर <u>S.P.D</u> शाखा गवाहिदुपु की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
कैम्प (रायसिंहनगर)

